प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त उप निदेशक मत्स्य,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/
   मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म0पा0वि0अभिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

संख्या– /नियो0शा0/2020–21 दिनांकः 01-9- अगस्त, 2020

विषयः योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान संख्या–17, 81 एवं 83 के आहरण के समय विशेष सतर्कता बरते जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि विभागीय योजनाओं में धनराशि अनुदान संख्या– 17, 81 एवं 83 आवंटित की जाती है। विगत वर्ष कतिपय आहरण वितरण अधिकारियों से आहरण में त्रुटियां हुई जिनका निराकरण महालेखाकार के स्तर पर लम्बित है तथा इस त्रुटिपूर्ण आहरण के कारण राज्य का वित्तीय प्रबन्धन प्रभावित होता है।

समस्त आहरण वितरण अधिकारियों का दायित्व है कि जिस अनुदान संख्या व जिस लेखा शीर्षक में धनराशि का आवंटन हुआ है उसी के सापेक्ष्य बजट की सीमा तक धनराशि का आहरण किया जाय। भविष्य के लिए सभी आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा यदि आवंटन की अनुदान संख्या व लेखाशीर्षक से इतर लेखा शीर्षकों से आहरण होता है व वित्तीय प्रबन्धन प्रभावित होता है तो प्रथम दृष्टया आहरण वितरण अधिकारी को दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

भवदीय,

(एस0 के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या– 4347 /नि0शा0/ दिनांकः उक्त।

प्रतिलिपि वेब आफीसर, मुख्यालय को पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(एस0 के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।